(वाद सं0.-3322/4/15/2023)

27-09-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, योगेन्द्र कुमार सिंह, के परिवाद से संबंधित है जिसमे सुनील सिंह, के 10 वर्षीय पुत्र, शुभम कुमार, की विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर उसके परिवार को मुआवजा दिये जाने तथा दोषी विद्युतकर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पर **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** के प्रतिवेदनानुसार सुनील सिंह के पुत्र की विद्युत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर उसे ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

अब जबकि शुभम कुमार, के विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** द्वारा उसके पिता, सुनील सिंह को **₹** 4,00,000/ – (चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–13–04/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

<u>उप सचिव</u>